(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1755–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.05.2016 पारित द्वारा तहसीलदार विदिशा जिला विदिशा प्रकरण कमांक 71/अ–6/2011–12

नारायण सिंह आ0 स्व0 श्री श्यामलाल
निवासी रायसेन गेट किला अन्दर
जिला विदिशा म0प्र0 .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. बापूलाल आ0 मुन्नालाल
2. निर्मल कुमार (मृतक)
   अ. रविन्द्र चौरसिया आ0 स्व0 श्री निर्मल चौरसिया
   ब. अतुल चौरसिया आ0 स्व0 श्री निर्मल चौरसिया
3. श्रीमती सुनीता चौरसिया पत्नी श्री सुरेश चौरसिया
   निवासी सारंगपुर तहसील सारंगपुर जिला राजगढ
4. श्रीमती सविता चौरसिया पत्नी श्री दिलीप चौरसिया
   निवासी के.बी. रोड गुना जिला गुना म0प्र0
5. श्रीमती रजनी चौरसिया पत्नी श्री अशोक चौरसिया
   निवासी जहांगीराबाद भोपाल म0प्र0
6. भगवानदास आ0 स्व0 श्री श्यामलाल
7. हरिनारायण आ0 स्व0 श्री श्यामलाल
8. राजेन्द्र कुमार आ0 स्व0 श्री श्यामलाल
   निवासीगण रायसेन गेट किला अन्दर
   जिला विदिशा (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर

अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय हैं।

आदेश

(आज दिनांक 03/1/18 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार विदिशा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 71 / अ—6 / 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण एवं बंटवारे की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.05.2016 द्वारा हितबद्ध पक्षों को सूचना पत्र की तामीली कराये बिना ही उभयपक्षों की अनुपस्थिति में विचाराधीन आदेश के द्वारा हल्का पटवारी को रिकॉर्ड दुरुस्त करके न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखित एवं लिखित तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान हीती नारायणी बाई एवं श्री श्यामलाल का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए अधीनस्थ तहसील न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सूचना पत्र की तामीली करवाये जाने के आदेश दिए गए थे। परंतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किए बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 16.05.2016 को प्रकरण सूचनापत्र की तामीली की प्रतीक्षा में रखते हुए आगामी पेशी दिनांक 27.05.16 नियत की गई थी, परंतु दिनांक 27.05.2016 को किन—किन

पक्षकारों की सूचना–पत्र की तामीली न्यायालय को प्राप्त हुई है इसका कोई भी उल्लेख दिनांक 27.05.2016 की विवादित कार्यवाही किए जाने से पूर्व प्रकरण में संलग्न सूचना–पत्रों की तामीली का अवलोकन करते हुए स्पष्ट आदेश पारित करते, परंतु उनके द्वारा प्रकरण में संलग्न सूचना पत्रों का अवलोकन किए बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही सन्देहास्पद प्रतीत होती है, क्योंकि उनके द्वारा आदेशिका दिनांक 27.05.2016 में उल्लेखित किया गया है कि "प्रकरण पेश। उभयपक्ष उपस्थित" परंतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पत्रिका में यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि प्रकरण में कौन–कौन से पक्षकार या उनकी ओर से कौन–कौन अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रकरण पत्रिका में किसी भी पक्षकार या अभिभाषक के हस्ताक्षर नहीं हैं।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा विधि के मान्य प्रावधानों एवं प्रकरण पत्रिका में उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार किए बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि उनका यह न्यायिक कर्तव्य था कि उनके समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करते हुए विधि के प्रावधानों पर नियमानुसार विचार करने के उपरांत ही कारण सहित आदेश पारित करते।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं।

5/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 विदिशा द्वारा व्यवहार वाद कमांक 28ए/89 निर्णय दिनांक 12.08.99 एवं डिक्री में वर्णित वाद भूमि रकवा 5.863 हे. पर प्रत्येक अपीलार्थी/वादी का 1/4 हिस्सा पर स्वत्व घोषित किया गया है। उनके द्वारा

यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील 6ए/99 अति. जिला न्यायालय जिला विदिशा द्वारा तथा द्वितीय अपील 410/9 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2009 को खाारिज किया गया है। उक्त निर्णयों को देखते हुए तहसीलदार ने द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा बाबूलाल/मुन्नालाल एवं एक अन्य विरुद्ध श्यामलाल/मुन्नालाल एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.99 द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी/वादी का 1/4 हिस्से पर घोषित स्वत्व अनुसार रिकॉर्ड दुरस्त करने के निर्देश पटवारी को दिए हैं एवं प्रकरण में आगामी तिथि नियत की गई है। उक्त निर्णयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवेदक या अन्य द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में की गई है इस संबंध में आवेदक द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के निर्णय के आधार पर रिकॉर्ड दुरस्त करने के निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। अभिलेख वापिस हों।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर